न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 135/2020

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हडवन्तसिंह पुत्र स्व0 जुंझारसिंह 2. इन्द्रसिंह पुत्र स्व0 तगसिंह 3. सवाईसिंह पुत्र स्व0 सुजानसिंह 4. पनेसिंह पुत्र स्व0 सुजानसिंह 5. नरपतसिंह पुत्र स्व0 सुजानसिंह 6. हर कंवर पत्नी स्व0 सुजानसिंह (जाति राजपूत, निवासी सहला (गिराब), तहसील गडरारोड, जिला बाडमेर)		1. सवाई सिंह पुत्र कालूसिंह 2. लीलादेवी पत्नी कालूसिंह 3. विजयसिंह पुत्र कालूसिंह 4. फरसा पुत्र माला 5. भाखरा पुत्र माला 6. सुरज कंवर पत्नी निम्बा 7. रविन्द्र सिंह पुत्र निम्बा 8. दुर्जनसिंह पुत्र निम्बा 9. शान्ति पत्नी जगदीश 10. उदयसिंह पुत्र जगदीश 11. बाबू पुत्र हडवन्ता 12. जसवन्त सिंह पुत्र जोरसिंह 13. कंकन कंवर पत्नी जोर सिंह 14. भैरसिंह पुत्र देसला जाति दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी निवासी गिराब, तह0 गडरारोड जिला बाडमेर) 15. तहसीलदार गडरारोड जिला बाडमेर 16. चन्द्र कंवर पुत्री स्व0 सुजानसिंह (जाति राजपूत, निवासी सहला (गिराब), तहसील गडरारोड जिला बाडमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) राजस्व आवेदन सं0 79/2011 आदेश दिनांक 12.06.18

उपस्थिति –
1. श्री गुलाब सिंह भाटी, वकील अपीलांट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पो0 सं0 4
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 15
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील गडरारोड के ग्राम गिराब में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उनके पूर्वजों की 108.01 बीघा एवं विप्रार्थी–अपीलांट के पूर्वजों की 105.19 बीघा भूमि स्थित थी। जिस पर तत्समय के खातेदारान का कब्जा काश्त था, किंतु वक्त बंदोबस्त में खसरा नं0 136 कायम कर प्रार्थी–रेस्पो0 के पक्ष में 76.11 बीघा भूमि दर्ज कर, शेष भूमि 31.10 बीघा विप्रार्थी–अपीलांट के पूर्वजों की भूमि का खसरा नं0 137 कायम कर उनके हिस्से की भूमि 105.19 बीघा में शामिल कर कुल रकबा 137.09 बीघा दर्ज कर दी गई। प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा उक्त 31.10 बीघा भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाने हेतु सहायक जिलाधीश (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आरटी एक्ट के तहत बअनवान ईशरा बनाम तगसिंह प्रस्तुत किया गया। जो दौराने विचारण दोनों पक्षों के मध्य जरिये राजीनामा अनुसार खसरा नं0 137 की खसरा नं0 136 से लगती हुई 14 बीघा भूमि प्रार्थी–अपीलांट के पूर्वजों की खातेदारी में निर्णय दिनांक 22.01.1968 घोषित की गई। किंतु उक्त निर्णय की पालना में 14 बीघा भूमि की तरमीम ख0नं0 136 व 137 के मध्य की भूमि पर करने की बजाय मूल खसरा नं0 137 के पश्चिमी सीमा के समानान्तर कर दी गई, जबकि मूल दावा खसरा नं0 137 की अपने खसरे के लगती भूमि को लेकर था। अतः वर्तमान राजस्व ग्राम आसाड़ी सिंधियान के खसरा नं0 137 रकबा 14 बीघा की तरमीम निरस्त करवाते हुए माफिक निर्णय वाद संख्या 127/66 खसरा नं0 136 की तरफ की उगमणी भूमि पर दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसील गडरारोड के वर्तमान ग्राम आसाडी सिंधियान के खसरा नं0 137 रकबा 14 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर, सहा0 जिलाधीश बाडमेर द्वारा राजस्व वाद सं0 122/66 बअनवान ईशरा बनाम तगसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.1968 के अनुसार तथा तहसीलदार गडरारोड की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार खसरा नं0 136 व 137 के मध्य की ख0नं0 137 की भूमि पर दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार गडरारोड को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–विप्रार्थी ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम आसाडी सिंधियान के खसरा नं0 137 की कृषि भूमि अपीलांट्स के कब्जाकाश्त व खातेदारी की है। अपीलांट–हडवंतसिंह ने रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नं0 137 रकबा 14 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की नही है तथा प्रार्थीगण के वालिदों ने गलत ढंग से वाद में अपने पक्ष में डिक्री करवायी है। उक्त डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील सं0 73/2011 बअनवान हडवंतसिंह बनाम सवाईसिंह वगैरा प्रस्तुत कर रखी है, जो बहस हेतु नियत है। अपीलांट द्वारा तरमीम परिवर्तित नही करवायी गई है, क्योंकि प्रार्थी–रेस्पो0 सेटलमेंट से कतई काबिज नही रहे व प्रार्थी तथाकथित डिक्री की पालना में उक्त दुरूस्ती, आवेदन के जरिये नही करवा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में सहायक जिलाधीश बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम नही हुई है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों की सर्वथा अनदेखी करते हुए केवल मात्र डिक्री की पालना हेतु ईजराय कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादग्रस्त भूमि की गलत तरमीम की जाने से अपीलांट्स के कब्जे व काश्त पर विपरित प्रभाव पडेगा। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विद्यमान तरमीम को निरस्त कर, सहा0 जिलाधीश बाडमेर द्वारा राजस्व वाद सं0 122/66 बअनवान ईशरा बनाम तगसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.1968 के अनुसार तथा तहसीलदार गडरारोड की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार खसरा नं0 136 व 137 के मध्य की ख0नं0 137 की भूमि पर दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार गडरारोड को आदेशित किया गया। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 सं0 15 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में पक्षकारों के मध्य तरमीम संबंधी विवाद के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से, इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 79/2011 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20/08/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर